

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलिया।प्रशासनिक आदेश

पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 29.11.2023 को संशोधित करते हुए अवकाश के दिनों में रिमाण्ड सम्बन्धी कार्य हेतु माह- मार्च, अप्रैल, मई (वर्ष 2024) के लिए निम्न सारणी में वर्णित अधिकारीगण को नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	रिमांड माह, वर्ष 2024	रिमाण्ड कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं न्यायालय का नाम :-
1.	मार्च, 2024	श्रीमती कविता कुमारी, न्या0 ए.सी.जे.एम. द्वितीय बलिया।
2.	अप्रैल 2024	श्री पुष्पेन्द्र कुमार सिंह न्या0 जे.एम.प्रथम, बलिया।
3.	मई 2024	श्रीमती तपस्या त्रिपाठी, न्या0 ए.सी.जे.एम. प्रथम, बलिया।

उक्त नामित न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश के दिनों में रिमाण्ड सम्बन्धी कार्य नियमानुसार सम्पादित करेंगे।

दिनांक 01.03.2024

(शाम्भवी यादव)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बलिया।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- माननीय जनपद न्यायाधीश, बलिया को ससम्मान सूचनार्थ।
- श्रीमान नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग बलिया को सादर सूचनार्थ।
- न्या0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बलिया।
- न्या0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, बलिया।
- न्या0 जे.एम. ~~प्रथम~~ बलिया।
- समस्त मजिस्ट्रियल अधिकारीगण के मध्य सूचनार्थ हेतु परिचालनार्थ।
- संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी, बलिया।
- सचिव, किमिनल एवं रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया।
- सी0जे0एम0 कार्यालय बलिया। (आदेश की एक प्रति गार्ड फाईल में संरक्षित की जाए। )

दिनांक 01.03.2024

(शाम्भवी यादव)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
बलिया।